कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी} की बैठक सं0 38/2000 दिनांक 30-3-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

1- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक {आयोजना} जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक{अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक{एम.पी.}जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

{1} बीपीसी-।।{सीपीसी} की बैठक सं0 36/2000 दिनांक 27-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

{2} बीपीसी-।।{सीपीसी} की बैठक सं0 37/2000 दिनांक 28-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

उपरोक्त बैठक के एजेण्डा सं0 37/2000-4 के संदर्भ में लिये गये नीतिगत निर्णय के अंत में यह जोड़ते हुए कि उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सचिव, जविप्रा द्वारा जारी आदेश क्रमांक: जविप्रा/2000/1988 दिनांक 8-3-2000 {प्रति संलग्न} के अनुसार कार्यवाही की जायेगी भवन मानचित्र समिति-द्वितीय {सीपीसी} की बैठक सं0 37/2000 दिनांक 28-3-2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ण।

{3} विभिन्न उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

3.1- एजेण्डा सं0 38/2000-1 :- खुदाबाड़ी सोनार गृह निर्माण सह0 समिति की योजना बाल नगर{जोन बी-2}:-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना का पूर्व में जो तकनीकी रूप से अनुमोदित प्लान है उसमें तथा मौके

पर स्थित भूखण्डों की संख्या में व नम्बरों में परिवर्तन है परन्तु ब्लौक की नापों में कोई अंतर नहीं है तथा सड़कों की लम्बाई तथा ले आउट में भी कोई अंतर नहीं है । पूर्व के तकनीकी अनुमोदित नक्शे तथा मौके की स्थिति के अनुसार बनाये गये नक्शे का अवलोकन करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के लिए पूर्व में अनुमोदित तकनीकी प्लान के अनुसार रोड़ नेटवर्क तथा सड़कों की चौड़ाई यथावत रखते हुए एवं फैसिलिटी एरिया भी यथावत रखते हुए मौके के अनुसार जोन द्वारा तैयार किया गया प्लान अनुमोदित किया गया ।

3·2- एजेण्डा सं0 38/2000- 2 :- गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान कॉलोनी (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड सं0 37 को खातेदार का भूखण्ड बताया गया था जिसमें समिति के द्वारा 8 भूखण्ड सृजित कर दिये गये हैं । इसी तरह भूखण्ड सं0 40ए, 40 बी व 40 ए 2 तकनीकी रूप से अनुमोदित प्लान में दर्शाये गये राधाकिशन शर्मा के भूखण्ड में समिति द्वारा पट्टा काट-कर सृजित कर दिये गये है । विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस योजना की भूमि के लिए 90 बी की कार्यवाही कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप योजना की भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है । ऐसी स्थिति में उक्त ।। भूखण्डों को अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि रोड़ नेटवर्क एवं सुविधा क्षेत्र पूर्व स्वीकृत प्लान के अनुसार ही रहेगा एवं भूखण्डों में तकनीकी रूप से अनुमोदित प्लान में दर्शायी गयी सड़कों के मुताबिक क्षेत्रफल में कमी की जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-।।(14)जविप्रा/वननि/सीपी/38/2000/डी- 158.
दिनांक : 31-3-2000.

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक (आयोजना)/(वित्त)(Z)(विधि)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- अति0आयुक्त (भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।

5- वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर ।

6- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-।। (सीपीसी)